न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी - श्री नरेश सोनी RAS

राजस्व वाद सं. 75/22

वादी बनाम प्रतिवादी

वादी		प्रतिवादी
1. भवानीसिंह 2. अशोकसिंह पि. रामसिंह कौम राजपूत निवासी रनियादेशीपुरा तहसील ~~कल्याणपुर~~ कल्याणपुर	बनाम	राजस्थान जरिये तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTAct

उपस्थित :- वादीगण स्वयं

निर्णय - दिनांक 10-6-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 217/39 रकबा 81-15 बीघा ग्राम रनियादेशीपुरा तहसील कल्याणपुर में अवस्थित है। वादीगण के पिता रामसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि जरिये ना.क.सं 122 मौजा रनियादेशीपुरा उनके तीन पुत्रों वादीगण व कुंवारा फौत शेरसिंह के नाम दर्ज हुई और शेरसिंह के फौत होने पर वादी भी उक्त भूमि के खातेदार हैं और उस पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। रामसिंह के फौत होने पर दायर उक्त ना.क. में वादी स[illegible] नाम भवानीसिंह के स्थान पर भगवानसिंह [illegible] अशोकसिंह के स्थान पर अचलसिंह [illegible] होने से राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित हो गई। अतः वादीगण ~~के~~ वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम क्रमशः भवानीसिंह

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

एवं अशोकसिंह होना घोषित करवाते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार कल्याणपुर ने जवाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में 'भगवानसिंह व अचलसिंह' के स्थान पर क्रमशः 'भवानीसिंह व अशोकसिंह' दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।

वादी ने अपने वादकथन के समर्थन में स्वयं वादी भवानीसिंह PW1 एवं अशोकसिंह PW2 के बयान कलमबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 Ex-1 व नामान्तरकरण सं. 122 मौजा रनियादेशीपुरा Ex-2 प्रस्तुत किये। तहसीलदार कल्याणपुर से वाद के तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई।

दौराने बहस वादीगण ने निवेदन किया कि उनके पिता रामसिंह के तीन पुत्र - वादीगण एवं कुवारा फौत शेरसिंह - थे। इन तीनों के अतिरिक्त उनके भगवानसिंह, अचलसिंह या अन्य नाम का अन्य कोई पुत्र नहीं है। बोलचाल [illegible] में प्रयुक्त नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] [illegible] सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं [illegible] रहे हैं अतः वादी राजस्व रिकार्ड में अपने वास्तविक एवं रिकॉर्डेड नाम भवानीसिंह एवं अशोकसिंह दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

हमने वादीगण की बहस पर मनन तथा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड में उनके नाम भवानीसिंह व अशोकसिंह दर्ज हैं। तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट के अनुसार 'भवानीसिंह व भगवानसिंह' तथा 'अशोकसिंह व अचलसिंह' एक ही व्यक्ति हैं। उक्त भगवानसिंह व अचलसिंह नाम के रामसिंह के अन्य कोई पुत्र नहीं हैं। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण के वास्तविक नाम 'भवानीसिंह' व अशोकसिंह होने की पुष्टि होती है, जिनका कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। ऐसी सूरत में तदनुसार दुरुस्ती किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रनियादेशीपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा नम्बर 277/39 रकबा 81-15 बीघा भूमि के खातेदारान का नाम 'भगवानसिंह' के स्थान पर 'भवानीसिंह' तथा 'अचलसिंह' के स्थान पर 'अशोकसिंह' होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 10.6.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

अमित स्टेशनर्स, घास मण्डी रोड, जोधपुर फोन 30367

डिगरी व मुकद्दमें इब्तदाई

(नरेश सोनी) (आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
सहायक कलक्टर (Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)
(SDO) बालोतरा

अज अदालत ______ मुकाम ______

श्री नरेश सोनी R.A.S.

बइजलास ______

1. भवानीसिंह 2. अशोकसिंह पि. रामसिंह नि. रनियादेशीपुरा तहसील कल्याणपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपुर

दावा बाबत 88 RtAct

मुकद्दमा न. 75/22 सन् ______

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय

ब हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुद्दई व ______ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रनियादेशीपुरा तहसील कल्याणपुरा की खसरा नम्बर 277/39 रकबा 81-15 बीघा भूमि के खातेदारान का नाम 'भगवानसिंह' के स्थान पर 'भवानीसिंह' एवं 'भलसिंह' के स्थान पर 'अशोकसिंह' होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं।

लीज ______ मुबलिक ______ बाबत ______

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ______ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ______ को अदा करें। खर्चा पक्षकार अपना-2 वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 6 2022 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

दस्तखत (नरेश सोनी)
ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायला	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतर्फारिक		
मुतर्फारिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।